

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2024 का विविध अपील सं. 23

कंचन प्रभा, पुत्री- कमल किशोर ललित, पत्नी- अमित कुमार सिन्हा, निवासी- फ्लैट नं. 302, रोड नं. 1, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, थाना- राजीव नगर, जिला-पटना

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

अमित कुमार सिन्हा, पुत्र- स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, वर्तमान निवासी- मोहल्ला पुराना बस स्टैंड बैंक, थाना-बांका, जिला-बांका

..... प्रतिवादी/ओं

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री रंजन कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : कोई नहीं

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1)
- हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(i), 12(1)(c)

अपील- उस निर्णय के खिलाफ दायर की गई, जिसमें अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा प्रतिवादी-पति के साथ संपन्न हुई शादी को शून्य घोषित करने की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

निष्कर्ष- निचली अदालत ने अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की समुचित सराहना नहीं की और उसकी याचिका को खारिज कर दिया। अदालत को यह विचार करना चाहिए था कि अपीलकर्ता-पत्नी के साथ विवाह के समय प्रतिवादी-पति पहले से ही किसी अन्य महिला के साथ वैवाहिक संबंध में था। अपीलकर्ता-पत्नी का यह विशिष्ट दावा कि विवाह संपन्न नहीं हुआ और इसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य, एक गंभीर विषय है, क्योंकि यह किसी भी वैवाहिक संबंध के अस्तित्व के लिए आधारभूत तत्व है, लेकिन निचली अदालत ने इस

महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया। इसके अतिरिक्त, निचली अदालत ने उन दस्तावेजी साक्ष्यों को भी ध्यान में नहीं रखा, जिन्हें अपीलकर्ता-पत्नी ने अपने दावों को साबित करने के लिए प्रस्तुत किया था। विवाह संबंधी वाद का निर्णय करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार किया जाना आवश्यक था। (पैरा 12)

अपीलकर्ता-पत्नी के साथ विवाह के समय प्रतिवादी-पति पहले से ही कानूनी रूप से विवाहित था, और उसकी अक्षमता के कारण विवाह संपन्न नहीं हो सका। निचली अदालत और इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीलकर्ता-पत्नी के इन दावों और साक्ष्यों का कोई खंडन या खंडन करने योग्य सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं आई है। (पैरा 13)

अपील को स्वीकार किया जाता है। (पैरा 16)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी. पी.डी. सिंह

सीएवी निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी. पी.डी. सिंह द्वारा)

तारीख: 17-01-2025

वर्तमान अपील पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (1) के तहत दायर की गई है, जिसमें वैवाहिक मामला संख्या 338/2019 में विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पटना द्वारा पारित 03.10.2023 के फैसले पर आक्षेप किया गया है, जिसके तहत अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा 23.08.2018 पर प्रत्यर्थी-पति के साथ विवाह को रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है।

2. पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर याचिका के अनुसार अपीलार्थी-पत्नी का मामला यह है कि अपीलार्थी पत्नी और प्रतिवादी-पति दोनों तलाकशुदा हैं। अपीलार्थी-पत्नी

की शादी पहले अभिषेक कुमार से हुई थी, लेकिन अपने पति के क्रूर रवैये के कारण, अपीलार्थी-पत्नी ने वैवाहिक मामला संख्या 351/2012 में 11.08.2015 पर आपसी सहमति पर अभिषेक कुमार से तलाक ले लिया। प्रत्यर्थी-पति ने एक श्वेता कुमारी से भी शादी की थी, लेकिन उनकी शादी भी सफल नहीं हो सकी और वे 09.12.2015 को तलाक मामले संख्या 30/2014 में परिवार न्यायालय, जहानाबाद द्वारा तलाक की डिक्री के माध्यम से अलग हो गए। प्रतिवादी-पति के साथ अपीलार्थी-पत्नी का विवाह दोनों पक्षों के रिश्तेदारों और शुभचिंतकों की उपस्थिति में हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार किया गया था। शादी से पहले, प्रतिवादी-पति ने खुद को 24 चैनल में ब्यूरो चीफ के रूप में काम करने वाले एक पत्रकार के रूप में पेश किया, लेकिन शादी के बाद, अपीलार्थी-पत्नी को पता चला कि प्रतिवादी-पति बेरोजगार था। प्रतिवादी-पति ने कुछ दिनों के गुजरने के बाद, अपीलार्थी-पत्नी पर बेरहमी से मारपीट करना शुरू कर दिया। प्रतिवादी-पति के साथ रहने के दौरान, अपीलार्थी-पत्नी ने पाया कि प्रत्यर्थी-पति बहुत क्रूर और सनकी दिमाग का है। अपीलार्थी-पत्नी को यह भी पता चला कि अपनी पूर्व पत्नी-श्वेता सिन्हा से तलाक के बाद, उन्होंने राकेश सिन्हा की बेटी लवली सिन्हा से फिर से शादी की थी और इस तथ्य को अपीलार्थी-पत्नी से शादी करने से पहले छिपा कर रखा गया था। अपीलार्थी-पत्नी ने यह भी पाया कि प्रतिवादी-पति 2015 से दीर्घकालिक तपेदिक से पीड़ित है, लेकिन इस तथ्य को शादी के समय प्रतिवादी-पति से भी छुपाया गया था। यह भी कहा गया है कि प्रत्यर्थी-पति की असमर्थता के कारण अपीलार्थी-पत्नी के साथ विवाह पूरा नहीं हो सका।

3. वर्तमान मुकदमा दायर करने के बाद, अदालत द्वारा प्रतिवादी-पति को समन/नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। इसलिए, परिवार न्यायालय के विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने एकतरफा कार्रवाई करने का फैसला किया।

4. अपना मामला साबित करने के लिए, अपीलार्थी के पास कार्यवाही के दौरान मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मुकदमे के दौरान, अपीलार्थी-पत्नी ने याचिका में किए गए अपने कथन के समर्थन में परिवार न्यायालय के समक्ष दो गवाहों कंचन प्रभा (पीडब्ल्यू 1), खुद अपीलार्थी-पत्नी और कमल किशोर ललित (पीडब्ल्यू 2) को पेश किया और उनसे पूछताछ की। अपीलार्थी-पत्नी ने दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं जैसे सूचनात्मक याचिका संख्या 3737/2016 (एक्सट-1), प्रतिवादी-पति का मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन (एक्सट-2), संपादक मानव सेवा अधिकार द्वारा प्रकाशित विज्ञापन (एक्सट-3),

शिव मंदिर, बीएमपी, पटना द्वारा जारी विवाह रसीद (एक्सट-4), अपीलकर्ता-पत्नी और प्रतिवादी-पति के संयुक्त फोटोग्राफ (एक्सट-5)।

5. इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी-पति को नोटिस जारी किया था और प्रत्यर्थी-पति को वैध रूप से नोटिस तामील किए गए थे, लेकिन प्रत्यर्थी-पति ने अपना मामला लड़ने के लिए इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना। नीचे दिए गए विद्वत न्यायालय के अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि प्रतिवादी-पति वैध नोटिस तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ था और इसलिए मामले को प्रतिवादी-पति के खिलाफ एकतरफा रूप से तय किया गया था।

6. अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों और दलीलों के साथ-साथ अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में निर्धारण के लिए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:-

(i) क्या अपीलार्थी अपनी अपील में मांगी गई राहत का हकदार है।

(ii) क्या प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना का विवादित निर्णय कानून की दृष्टि से न्यायसंगत, उचित और संधारणीय है।

7. उपरोक्त दोनों बिंदुओं को दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों और इस मामले में लागू कानून के प्रावधान के आधार पर चर्चा के लिए एक साथ लिया जाता है।

8. पी. डब्ल्यू. 1 कंचन प्रभा स्वयं अपीलार्थी-पत्नी हैं जिन्होंने यह बयान दिया है कि हिंदू रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों के अनुसार एक मंदिर में 23.08.2018 पर प्रतिवादी-पति के साथ उनकी शादी हुई थी। शादी तय करने के समय, प्रतिवादी-पति चैनल के चीफ ब्यूरो के पद पर कार्य करता था। प्रतिवादी-पति ने कहा कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है। प्रत्यर्थी-पति ने पूर्व पत्नी श्वेता सिंह के साथ तलाक का कागज दिखाया। विवाह के बाद, अपीलार्थी-पत्नी प्रत्यर्थी-पति के साथ रहने लगी, लेकिन प्रत्यर्थी-पति की असमर्थता के कारण विवाह पूरा नहीं हो सका। बाद में, अपीलार्थी-पत्नी को पता चला कि प्रतिवादी-पति के पास कोई काम नहीं है। इसके बाद प्रतिवादी-पति ने अपीलार्थी-पत्नी को पीटना और गाली देना शुरू कर दिया। शादी के पाँच महीने बाद, अपीलार्थी-पत्नी को पता चला कि श्वेता सिन्हा से तलाक के बाद, प्रतिवादी-पति ने राकेश सिन्हा की बेटी लवली

सिन्हा से भी शादी की थी, लेकिन उसने शादी के समय इस तथ्य को अपीलार्थी-पत्नी से छिपा दिया था। अपीलार्थी-पत्नी, इसलिए प्रत्यर्थी-पति के साथ विवाह को रद्द करने के लिए प्रार्थना करती है।

9. पी. डब्ल्यू. 2 कमल किशोर ललित अपीलार्थी-पत्नी के पिता हैं जिन्होंने यह बयान दिया है कि अपीलार्थी-पत्नी की शादी प्रतिवादी-पति के साथ 23.08.2018 को हुई थी। शादी के समय, प्रतिवादी-पति ने बताया था कि वह 24 न्यूज चैनल में बिहार के मुख्य ब्यूरो के रूप में काम कर रहा है और स्वस्थ है। शादी के बाद, प्रतिवादी-पति अपीलार्थी-पत्नी को मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पटना में किराए के मकान में ले गया। वहाँ रहने के बाद, यह पाया गया कि प्रतिवादी-पति पूरे दिन घर पर रहता था और अपीलार्थी-पत्नी से उसे पैसे मांगता था। जब अपीलार्थी-पत्नी पूछती थी कि वह काम पर क्यों नहीं जाता, तो प्रतिवादी-पति उसे बुरी तरह से पीटता था। प्रत्यर्थी-पति मानसिक रूप से अस्थिर था और वह हमेशा अपीलार्थी-पत्नी के प्रति बहुत क्रूर था। इस बीच, यह पाया गया कि श्वेता सिन्हा से तलाक के बाद, प्रतिवादी-पति ने लवली सिन्हा से शादी कर ली। उन्होंने इस संबंध में 2016 की सूचना याचिका संख्या 3737 (अतिरिक्त-1) भी दायर की है। उसे यह भी पता चला कि प्रतिवादी-पति 24 चैनल के साथ काम नहीं करता है और वह 2015 से तपेदिक से पीड़ित था। प्रत्यर्थी-पति ने सभी तथ्यों को छिपाकर अपीलार्थी-पत्नी से शादी की थी।

10. अपीलार्थी-पत्नी के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय ने अपने समक्ष रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्यों की सराहना किए बिना यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किया है। नीचे दी गई अदालत यह समझने में विफल रही है कि अपीलकर्ता-पत्नी के साथ विवाह के समय, प्रतिवादी-पति पहले से ही कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी लवली सिन्हा था, इसलिए, उसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (i) के तहत निहित शर्तों का उल्लंघन किया है जो दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं देता है। निचली अदालत इस बात पर विचार करने में विफल रही है कि प्रतिवादी-पति ने इस तथ्य को छुपाया है कि वह गंभीर तपेदिक से पीड़ित है और अपनी नौकरी के बारे में भी और इस तरह, उसने अपीलार्थी-पत्नी के साथ धोखाधड़ी से शादी की सहमति ली। प्रतिवादी-पति की असमर्थता के कारण शादी भी पूरी नहीं हो सकी।

11. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) का वर्णन इस प्रकार है:-

“याचिकाकर्ता की सहमति, या जहां बाल विवाह निषेध (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का 2) के लागू होने से ठीक पहले धारा 5 के तहत विवाह में अभिभावक की सहमति आवश्यक थी, ऐसे अभिभावक की सहमति समारोह की प्रकृति या प्रतिवादी से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य या परिस्थिति के बारे में बलपूर्वक या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी”

12. हमने मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है और अपीलार्थी-पत्नी के विद्वान वकील की ओर से आगे की गई दलीलों पर विचार किया है। अपीलार्थी-पत्नी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि निचले विद्वान न्यायालय ने अपीलार्थी-पत्नी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की सराहना नहीं की है और अपीलार्थी-पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया है। निचली अदालत को अपीलार्थी-पत्नी के साथ विवाह के समय प्रत्यर्थी-पति और लवली सिन्हा के विवाह के बारे में विचार करना चाहिए था। अपीलार्थी-पत्नी का विशिष्ट दावा और समर्थन साक्ष्य कि विवाह संपन्न नहीं हो सकता है - चिंता का एक और गंभीर कारण है जो किसी भी वैवाहिक संबंध के अस्तित्व के लिए एक आधारशिला है, लेकिन उस बिंदु पर नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। निचली अदालत ने भी उन दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने की जहमत नहीं उठाई है जो अपीलार्थी-पत्नी द्वारा उपरोक्त अनुरोधित तथ्यों को साबित करने के लिए पेश किए गए थे। नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय द्वारा वैवाहिक मुकदमे का निर्णय लेते समय उन सभी तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता थी।

13. उपरोक्त सभी तथ्यों से पता चलता है कि अपीलार्थी-पत्नी ने इस तथ्य को साबित कर दिया है कि प्रत्यर्थी-पति के साथ उसकी शादी के समय, उसका (प्रत्यर्थी) कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी लवली सिन्हा थी और प्रत्यर्थी-पति की असमर्थता के कारण शादी पूरी नहीं हुई थी। अपीलार्थी-पत्नी की ओर से नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए उपरोक्त कथनों और साक्ष्य का खंडन करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं आया है। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन और साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

14. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, वैवाहिक मामले संख्या 338/2019 में विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना द्वारा पारित दिनांक 03.10.2023 के विवादित फैसले को खारिज कर दिया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम की

धारा 12 (1) (सी) के तहत विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए अपीलार्थी-पत्नी की प्रार्थना की अनुमति है और अपीलार्थी-पत्नी और प्रतिवादी-पति के बीच विवाह को अमान्य घोषित किया जाता है।

15. रजिस्ट्री को तदनुसार तलाक की डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

16. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

(एस.बी. पी.डी. सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी.बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।